न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 127/13 **निर्णय दिनांकः–21.01.2019**

1. नारायणराम पुत्र देवाराम जाति रेगर निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 09–02–2005
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 09–02–2005 जिसके द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट

सद्भाविक कृषक नहीं है, तथा पेशा अकृषि कार्य है। जबकि अपीलांट खेतीहर मजदूर है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना खारिज करने से पूर्व इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—02—2005 के विरूद्व अपील दिनांक 05—04—13 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—02—2005 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 05—04—2013 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट सद्भाविक कृषक नहीं है तथा अपीलांट का पेशा अकृषि कार्य है।

(3) इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न फोटो फार्म का अवलोकन किया। उक्त फोटो फार्म संबंधित तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जाता है। उक्त फोटो फार्म के पैरा संख्या 3 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलांट नारायणराम की आय का मुख्य स्रोत मजदूरी है। जिससे साबित होता है कि अपीलांट सद्भाविक कृषक नहीं है तथा उसका मुख्य कार्य मजदूरी का है।

(4) भूमिहीन आवंटनों में यह मुख्य बिन्दु है कि आवेदक का मुख्य कार्य कृषि होना चाहिए तथा इसकी पुष्टि संबंधित तहसीलदार द्वारा फोटो फार्म तस्दीक करते हुए की जाती है। प्रकरण में चूंकि संबंधित तहसीलदार द्वारा फोटो फार्म तस्दीक किया गया। जिसमें यह अभिलिखित है कि अपीलांट का आय का स्रोत मजदूरी है। जिससे साबित है कि अपीलांट सद्भाविक कृषक नहीं है तथा अपीलांट का कार्य अकृषि कार्य की श्रेणी में आता है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित होना प्रतीत नहीं होता है। अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, का आदेश दिनांक 09—02—2005 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर